



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 20, सोमवार, शके 1941-नवम्बर 11, 2019
Kartika 20 Monday, Saka 1941-November 11, 2019

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 11, 2019

जी.एस.आर. 40:-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की निवासीय सुविधा) नियम] 1973 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की निवासीय सुविधा) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा (सदस्यों की निवासीय सुविधा) नियम, 1973, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2017 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चात्पूर्ती हो से 20,000/- रुपये प्रतिमाह” के स्थान पर अभिव्यक्ति “1 अप्रैल, 2019 या ऐसी वास-सुविधा के उपभोग की तारीख जो भी पश्चात्पूर्ती हो से 30,000/- रुपये प्रतिमाह” प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“6. फर्नीचर की सुविधा और पुनर्भरण.- (1) जयपुर में सरकारी वास-सुविधा या अपने स्वामित्व वाली या उसके द्वारा किराये पर ली गयी वास-सुविधा में निवास कर रहा कोई सदस्य, प्रत्येक विधान सभा कार्यकाल में या उसकी सदस्य-अवधि तक एक बार 1 अप्रैल, 2019 से या ऐसी वास-सुविधा के अधिभोग के पुनर्भरण की तारीख से, जो भी बाद में हो, अस्सी हजार रुपये की सीमा तक फर्नीचर पर व्यय के पुनर्भरण का हकदार होगा। सदस्य, उसके द्वारा क्रय किये गये फर्नीचर का स्व-प्रमाणित बिल पुनर्भरण के लिए सचिव को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन पुनर्भरण की सुविधा, इन नियमों के नियम 3 के उप-नियम (12) के खण्ड (क) के अधीन आबंटन की बढ़ायी गयी कालावधि के दौरान उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।”।

[सं. एफ. 7(11)संसद/1987]

राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Jaipur, November 11, 2019

G.S.R. 40.-In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) (Amendment) Rules, 2019.
(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 4.- In rule 4 of the Rajasthan Legislative Assembly (Members Residential Accommodation) Rules, 1973, hereinafter referred as to the said rules, for the existing expression, "Rs. 20,000/- per month with effect from 1st April, 2017", the expression "Rs. 30,000/- per month with effect from 1st April, 2019", shall be substituted.

3. Amendment of rule 6.- The existing rule 6 of the said rules shall be substituted by the following, namely :-

"6. Facility and Reimbursement of furniture.- (1) A member residing at Jaipur in the Government accommodation or in the accommodation owned or hired by him shall be entitled to reimbursement of expenditure on furniture to the extent of eighty thousand rupees with effect from 1st April, 2019 or from the date of occupation of such accommodation, whichever is later, once in each assembly term or till his term as a member. The member shall submit self certified bill of furniture purchased by him to the Secretary for reimbursement.

(2) the facility of reimbursement under sub-rule (1) shall not be made available during the extended period of allotment under clause (a) of sub-rule (12) of rule 3 of these rules."

[No. F.7(11)Sansad/1987]

By order of the Governor,
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.